न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 30 / 2014

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी, जिला अजमेर

.......**प्रार्थी**

बनाम

श्रीमति सुनीता पत्नि श्री उमाशंकर वैष्णव निवासी, ग्राम मेवदाकलां, तहसील केकडी, जिला अजमेर।

......**अप्रार्थिया**

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :— 1. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील।
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अप्रार्थिया की ओर से।

—: आदेश :—

दिनांक—06.06.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 16.01.2013 को ग्राम पंचायत मेवदाकलां में आयोजित प्रशासन गांवों के संग शिविर में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर श्रीमति सुनीता पत्नी श्री उमाशंकर वैष्णव निवासी ग्राम मेवदाकलां, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम मानखण्ड स्थित सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1652 रकबा 0.69 हैक्टर भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थिया के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के आवंटन को निरस्त करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि मौके पर विवादित भूमि में से मानखण्ड से नयागांव आम रास्ता जा रहा है तथा विवादित भूमि काबिल काश्त नहीं है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थिया के नाम नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थिया जरिये वकील उपस्थित हुई तथा जवाब नोटिस पेश नहीं किया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित करते हुए उभयपक्ष की बहस सुनी। इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 13.07.2016 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थिया के पक्ष में ग्राम मानखण्ड स्थित आराजी खसरा नम्बर 1652 रकबा 0.69 हैक्टर भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर पुनः सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये गये। अप्रार्थिया द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर में अपील संख्या 363 / 2016 सुनिता बनाम सरकार पेश की गई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलेक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

द्वारा प्रकरण में दिनांक 30.09.2019 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण इस न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि "इस तथ्य की जांच करें कि क्या विवादित भूमि राजस्व रेकॉर्ड में रास्ता दर्ज अथवा नहीं? इस तथ्य की भी जांच करे कि क्या विवादित आवंटित भूमि ख0नं0 1652 रकबा 0.69 है0 पर ग्राम मानखण्ड से नयागांव का आम रास्ता मौके पर मौजूद है अथवा नहीं? यदि आवंटित भूमि पर रास्ता मौजूद है तो रास्ते की भूमि को छोड़ते हुए पुनः जांच कर अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करें।" राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय दिनांक 30.09.2019 की पालना में प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार केकड़ी से विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। वकील अप्रार्थिया ने जवाब नोटिस पेश किया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थिया के पक्ष में आवंटित विवादित भूमि में से मानखण्ड से नयागांव आम रास्ता जा रहा है तथा विवादित भूमि काबिल काश्त नहीं है एवं ना ही अप्रार्थिया का कभी कब्जा काश्त रहा है। पटवारी हल्का मानखण्ड ने मौका रिपोर्ट दिनांक 02.09.2013 में विवादित आराजी खसरा संख्या 1652 में से मानखण्ड से नयागांव आम रास्ता होना बताया है जो राजस्व नक्शे से स्पष्ट है। रास्ते की भूमि का किसी भी व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता है। विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित है। उनका कथन है कि अप्रार्थिया के पक्ष में विवादित आराजी का नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया गया है एवं ना ही मौके पर भूमि का कब्जा संभलाया गया है। अप्रार्थिया द्वारा तथ्यों को छिपाकर एवं मिथ्या कथनों के आधार पर विवादित आराजी का आवंटन करवाया गया है। अतः अप्रार्थिया के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि पुनः सिवायचक दर्ज की जावे।

लायक पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में विद्वान वकील अप्रार्थिया का कथन है कि प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त कथन झूठे एवं मनगढ़न्त है। उनका कथन है कि विवादित भूमि का आवंटन अप्रार्थिया के पक्ष में सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर विधिक प्रक्रिया पश्चात् कमेटी का कोरम पूर्ण होने पर उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा किया गया है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान R.R.T 2006(2) पेज 1171 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया है। उन्होंने कथन किया कि एक ओर तो सरकार द्वारा समस्त तथ्यों की जांच पश्चात् भूमि आवंटित की गई है, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा आवंटन निरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

वरवक्त आवंटन कमेटी में प्रार्थी स्वयं सदस्य के रूप में उपस्थित थे तथा अप्रार्थिया के पक्ष में आवंटन हेतु अपनी सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये थे, उन्ही के द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो विधि विरूद्ध है। अप्रार्थिया आवंटन के पश्चात से ही विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र साईक्लोस्टाईल है जिसमें केवल मात्र रिक्त स्थानो की पूर्ति की गई है तथा शपथ पत्र भी तस्दीकशुदा नहीं है जो प्रार्थना पत्र की श्रेणी में परिभाषित नहीं किया जा सकता। उनका कथन है कि प्रकरण वर्ष 2014 में दर्ज रजिस्टर किया गया किन्तु आदिनांक तक प्रकरण में आवंटन आदेश की मूल पत्रावली तलब नहीं की गई है। आक्षेपीय आदेश की मूल पत्रावली को न्यायिक रूप से मंगवाया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में मूल आवंटन पत्रावली मंगवाये बिना प्रकरण का अन्तिम निस्तारण नहीं किया जा सकता। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है, स्पष्ट नहीं है जबकि राजस्व रेकार्ड में भूमि की किस्म बारानी 3 काबिल काश्त दर्ज होना स्पष्ट है जो किसी भी प्रकार से आवंटन नियमों के उल्लघंन की श्रेणी में नहीं आता है। आवंटन नियमों में विशेष प्रावधान किया गया है कि किस प्रकार की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। भूमि का प्रकार और वर्गीकरण राजस्व रेकार्ड में अंकन के आधार पर ही किया जा सकता है। विवादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में बारानी 3 काबिल काश्त दर्ज है जो कृषि कार्य हेतु उपलब्ध थी किन्तु अब प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत करना कि विवादित भूमि में से मानखण्ड से नयागांव आम रास्ता जा रहा है न्यायोचित नहीं है जबकि प्रार्थना पत्र में पृथक से पेन से विवादित भूमि में मौके पर रास्ता होने का अंकन किया गया है जो कि अपने आप में संदिग्ध होना प्रकट होता है। वकील अप्रार्थिया ने आगे कथन किया कि नियम 14(4) के अन्तर्गत केवल ऐसे आवंटन को निरस्त करवाया जा सकता है जो छल, कपटपूर्वक, तथ्यों को छिपाकर करवाया गया हो जबकि पत्रावली पर ऐसे कोई तथ्य प्रकट होना नहीं पाये गये हैं। उन्होंने हमारा ध्यान आर.आर.टी. 2007(2) पेज 1433 व आर.आर.टी 2011 पेज 1144 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र में केवल मात्र यह अंकित कर देने से कि विवादित भूमि में से मौके पर रास्ता है, से आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 24.08.2021 अनुसार विवादित आराजी खसरा संख्या 1652 राजस्व रेकॉर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज नहीं होना एवं ग्राम मानखण्ड से नयागांव जाने वाला रास्ता विवादित आराजी से न होकर खसरा संख्या 1675 (गै0मु0 रास्ता) से गुजरना बताते हुए मौके पर कोई रास्ता विद्यमान नहीं होना बताया गया है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि आवंटी एक गरीब काश्तकार महिला है जिन्हें बमुश्किल विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

किया जाकर अप्रार्थिया के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष के वकीलों द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि के आवंटन पश्चात तत्कालीन पटवारी हल्का मानखण्ड की रिपोर्ट दिनांक 02.09.2013 अनुसार विवादित आराजी खसरा संख्या 1652 में से ग्राम मानखण्ड से नयागांव को आम रास्ता जाना बताया गया है। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय दिनांक 30.09.2019 की पालना में प्राप्त पटवारी हल्का, मानखण्ड की मौका रिपोर्ट दिनांक 24.08.2021 में विवादित आराजी खसरा संख्या 1652 राजस्व रेकॉर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज नहीं होना एवं ग्राम मानखण्ड से नयागांव जाने वाला रास्ता विवादित आराजी से न होकर खसरा संख्या 1675 (गै0मु0 रास्ता) से गुजरना बताते हुए मौके पर कोई रास्ता विद्यमान नहीं होना अंकित किया गया है जबकि तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा आवंटन से पूर्व मौके पर विवादित आराजी में से रास्ता गुजरने के कोई तथ्य रिपोर्ट में अंकित नहीं किये गये। पटवारी हल्का की वादग्रस्त आराजी के आवंटन से पूर्व व आवंटन पश्चात प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से विरोधाभास होना पाया जाता है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 24.08.2021 अनुसार विवादित भूमि खसरा संख्या 1652 राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2076 से स्थायी के खाता संख्या 1 में सिवायचक भूमि के रूप में दर्ज है व रास्ते के रूप में दर्ज नहीं है। विवादित आराजी में से रास्ता नहीं होकर इसके दक्षिण की ओर खसरा संख्या 1621, 1653 व 1651 में से ग्राम मानखण्ड से नयागांव जाने के लिये कदीमी रास्ता गुजरता था जो वर्तमान में भी मौके पर विद्यमान है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर अप्रार्थिया के पक्ष में किया गया विवादित आराजी का आवंटन यथावत रखा जाता है। तहसीलदार केकड़ी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे स्वयं विवादित भूमि का भौतिक रूप से मौका निरीक्षण कर न्यायसंगत कार्यवाही करें तथा तत्कालीन पटवारी हल्का, मानखण्ड द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त आराजी के आवंटन से पूर्व व आवंटन पश्चात विरोधाभासी मौका रिपोर्ट के दृष्टिगत सम्बन्धित हल्का पटवारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करें।

आदेश आज दिनांक 06.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,
अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर
सत्यमेव जयते